न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 84/2018 निर्णय दिनांक 3.1.2020

लालचन्द पुत्र ताराचन्द जाट निवासी सैमांग तहसील महज लि रोहतक (हरियाणा) हाल सातलेरा हाल आडसर बास, श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

————वादी

बनाम

1 संतरादेवी पत्नपी रानपरस 2 सुखीराम 3 मनीराम 4 लक्ष्मी 5 भतेरी 6 सोनिया 7 सोनू पुत्र पुत्रियां रानपरस जाट निवासी सैमांग जिला रोहतक हाल सातलेरा तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर 8 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

——प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

1. श्री मोहनलाल सोनी अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. श्री बाबूलाल दर्जी अधिवक्ता प्रतिवादी 1 से 7 की तरफ से ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

यह वाद इस न्यायालय में लालचन्द ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी खेत खसरा नम्बर 262 तादादी 10.12 हैक्टयर रोही सातलेरा तहसील श्री डूँगरगढ का 1/2 हिस्सा का रिकार्डेड काबिज कृषक है । इस खेत के उतरी तरफ के हिस्सा पर वादी का कब्जा काश्त शुरू से ही चला आ रहा है । हम पक्षकारों ने आपसी मौखिक तौर पर तो इस खेत का हिस्सा पांति के अनुसार मौका पर विभाजन कर रखा है, लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में अभी तक विभाजन नहीं हुआ है । वादी हिस्सा पांति व मौखिक विभाजन के अनुसार इस खेत की उतरी तरफ का 1/2 हिस्सा भूमि पर काबिज चला आ रहा है । वादी ने अपने हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि पर काफी मेहनत करके व रूपये खर्च करके उपजाऊ भी बनाई है । रेवेन्यू रिकार्ड में उक्त खेत संयुक्त रहने से वादी को ऋण आदि लेने से अन्य प्रकार से कई परेशानियों का सामना करना पड रहा है इसलिए उपरोक्त खेत का विभाजन रेवेन्यू रिकार्ड में भी मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर हो जाना चाहिये । प्रतिवादीगण इस खेत के दक्षिण तरफ के 1/2 हिस्सा पर काबिज चले आ रहे है । उस खेत आबादी क्षेत्र के पास भी पडता है । वादी ने दिनांक 24.4.2018 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वो हिस्सा पांति व कब्जानुसार इस खेत का विभाजन रेवेन्यू रिकार्ड में सहमति से करवा लेवे तो प्रतिवादीगण इंकार हो गये, यही दावा का हेतु है । दावा का आधार वादी 1/2 हिस्सा का इस खेत का रिकार्डेड खातेदार व काबिज काश्तकार होने से प्राप्त है । अतः दावा वादी निम्न प्रकार से डिक्री हेतु निवेदन किया है –

विभाजन डिक्री बहक वाही खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत खेत खसरा नम्बर 262 तादादी 10.12 हैक्टयर रोही सातलेरा तहसील श्री डूँगरगढ पारित की जावे और तदनुसार रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की तरफ से जबाव पेश हुआ कि खेत खसरा नम्बर 262 तादादी 10.12 हैक्टयर रोही मौजा सातलेरा तहसील श्री डूँगरगरढ में वादी का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का 1/2 हिस्सा मौका पर कब्जा काश्त उपयोग एवं उपभोग में चला आ रहा है । प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने वादगत खेत में अपने उतरी 1/2 हिसा में मकान बना रखे है जिनमें दो कमरे, एक रसोई व आंगन आदि है । प्रतिवादीगण की 1/2 हिस्सा के उतर में श्मशान घाट

Scanned by CamScanner

की दिवार व बाड, दक्षिण में वादी का 1/2 हिस्सा पूर्व में मोह मेघवाल व पश्चिम में पन्नाराम का खेत स्थित है । वादी का वादगत खेत में उतरी तरफ का 1/2 हिस्सा पर कब्जा कभी भी नहीं रहा है । वादी ने दावा में गलत तथ्यों का वर्णन किया हैं फलस्वरूप वादी का दावा खारिज किये जाने योग्य है ।

वादी के उक्त वाद पर तनकीहात कायम की गई । परन्तु वादी व प्रतिवादी दोनों ही मौके कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हो जाने के कारण वादी का वाद बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 262 तादादी 10.12 हैक्टयर रोही सातलेरा तहसील श्री डूँगरगढ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 का खाता बाई मिटस एण्ड बाउण्डस खाता विभाजन किया जाता है । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ मौके पर पहुंच कर विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखते हुए, वादी प्रतिवादी के कब्जा काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें । प्राथमिक डिक्री जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 3.1.2020 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया । पत्रावली बाद निर्णय बाद दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2020.02.10 11:19:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: